

मृत्यु-समीक्षा-रिपोर्ट

[नियम 199 (ख)]

<p>1. घाता-केस-निर्देश, शव की जांच की तिथि और समय ।</p>	<p>पटना जंमिन (राजेंद्रनगर) रेल्व घाता संदर्भ 202/2013 दिनांक 31.2.2013 घाता- 302/2013 मदिरि जांच की तिथि - 1.8.2013 समय - 6.15 बजे</p>
<p>2. मृतक का नाम और उपनाम तथा पिता का नाम, निवास-स्थान, लगभग उम्र तथा लिंग ।</p>	<p>अज्ञात उम्र - लगभग - 45 वर्ष लिंग - पुरुष</p>
<p>3. जहाँ शव पाया गया वह स्थान, समय और तिथि ।</p>	<p>राजेंद्रनगर 2 के लिंग उपलक्ष्य के पूर्वी भाग में Garbage Area के पास । राजेंद्रनगर 2 के जगमकुंजा की कोर जहाँ बाली मुख्य घासी बस है 12 मीटर उंच है । घाते पर काइन्ही नाम टूटा हुआ है । समय - 19.00 बजे दिनांक 31.2.2013</p>
<p>4. शव का विवरण और वह किस स्थिति में पाया गया । लगभग ऊंचाई, पहचान-चिह्न, आंखों के रंग और बाल आदि का उल्लेख करें ।</p>	<p>दाहिने करव लेटा हुआ, दोनों कंठनी मुड़ा हुआ हड्डनी घेहरा के पास, पैर घेरे की ओर मुड़ा हुआ । नाक - लुला, बाल - अधपका, रंग - श्यामला, सिर - डचर ।</p>
<p>5. शरीर पर दिखाई पड़नेवाली चोट और घाव या अन्य प्रकार के चिह्न तथा वह या वे हथियार जिससे ये किए गए प्रतीत हों ।</p>	<p>घेहरा पुरा चाला पड़ा हुआ, मुँह - लुला की ओर पड़ा हुआ, घेहरा एवं हाथ के बंधन का प्रतीत नहीं पाया एवं किनासा जहाँ घेहरा पुरा पड़े विकृत है । पैर की ओर प्रतीत नहीं पाया एवं किनासा जहाँ घेहरा पुरा जन्म के निशान जर्दन की प्रतीत किना एवं जन्म के निशान शिब में देहने के रंसा प्रतीत होना है कि प्रतीत नहीं पाया एवं शिब में R.N.C.C में लार पैर दिशा जहाँ है शिब बायी बंदु के रंसा है ।</p>
<p>6. वे परिस्थितियाँ, यदि कोई हों, जिनसे किसी कूटकर्म का सन्देह उत्पन्न हो ।</p>	<p>शिब में देहने के रंसा प्रतीत होना है कि प्रतीत नहीं पाया एवं शिब में R.N.C.C में लार पैर दिशा जहाँ है शिब बायी बंदु के रंसा है ।</p>
<p>7. शव पर या उनके निकट पाये गए वस्त्र, आभूषण, हथियार और अन्य सामग्रियों की सही सूची और विवरण ।</p>	<p>एक डजला रंग का किनासा हुआ हाथ जाली पहना हुआ एवं डोरी वाला पैनासा पहना हुआ ।</p>
<p>8. मृत्यु के कारण के संबंध में गवाहों की राय 9. मृत्यु के कारण के संबंध में आरक्षी-अधिकारी की राय और उसका हस्ताक्षर ।</p>	<p>घेहरा एवं जर्दन पर चोट के निशान के रंसा प्रतीत होना है कि कहीं जन्म हुआ एवं शिब में R.N.C.C में लार पैर दिशा जहाँ है ① Jaibaly Kumar ② Anshu Kumar 1/8/13 115113 घेहरा एवं जर्दन पर चोट के निशान के रंसा प्रतीत होना है कि कहीं की गई है</p>

ध्यातव्य :- शव को अन्वय-परीक्षा के लिए भेजते समय इसे शव के साथ भेजा जाए ।
पुलिस - 9
1.8.2013
SIC Rait B. P R. Nagar
Cand. R.N.C.C